लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

तत्काल प्रकाशित

सत्यमेव जयते

प्रेस विज्ञप्ति

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

का

31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष का

राज्य का वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

बिहार सरकार

प्रतिवेदन संख्या– 3, वर्ष 2020

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

प्रेस विज्ञप्ति

तत्काल प्रकाशित

राज्य वित्त 2019 पर भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष पर राज्य वित्त का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, बिहार सरकार पर भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत 23 मार्च 2021 को बिहार विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

इस प्रतिवेदन में तीन अध्याय संरचित है। प्रथम दो अध्याय में राज्य सरकार के वर्ष 2018–19 के वित्त लेखे तथा विनियोग लेखे पर लेखापरीक्षा अवलोकन शामिल है एवं अध्याय तीन चालू वर्ष के दौरान विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निर्देशों के प्रति राज्य सरकार के अनुपालन पर टिप्पणी प्रस्तुत करता है।

लेखापरीक्षा के प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार है :-

अध्याय I : राज्य सरकार का वित्त

राजस्व अधिशेष

राज्य ने चौदहवें वित्त आयोग और बी0एफ0आर0बी0एम0 अधिनियम के अंतर्गत मध्यावधि राजकोषीय नीति द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार राजस्व अधिशेष और राजकोषीय घाटा को हासिल किया है जबकि बकाया ऋण का जी0एस0डी0पी से अनुपात का लक्ष्य हासिल नहीं किया। यद्यपि, राज्य ने 2018–19 के लिए बजट अनुमानों में अनुमानित, जी0एस0डी0पी0 लक्षित के साथ बकाया ऋण का अनुपात हासिल किया है, लेकिन राजस्व अधिशेष और राजकोषीय घाटे का लक्ष्य हासिल नहीं किया है।

(कंडिका 1.1.2)

प्राथमिक घाटा

राज्य का प्राथमिक घाटा वर्ष 2014–15 में ₹ 5,050 करोड़ से घटकर 2018–19 में ₹ 3,736 करोड़ हो गया है। वर्ष 2018–19 के दौरान राजकोषीय घाटा एवं प्राथमिक घाटा वर्ष 2017–18 के सापेक्ष क्रमशः तीन प्रतिशत एवं 29 प्रतिशत कम रहा।

(कंडिका 1.2.2)

.....जारी

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

राजकोषीय घाटा

राजकोषीय घाटा वर्ष 2017–18 के ₹ 14,305 करोड़ से घटकर वर्ष 2018–19 में ₹ 13,807 करोड़ हो गया जो कि बजट अनुमान से (₹ 2,603 करोड़) ज्यादा था।

(कंडिका 1.2.2 एवं 1.2.4)

संसाधन संग्रहण

2017–18 से 2018–19 में राजस्व प्राप्तियों में ₹ 14,347 करोड़ (12.22 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, लेकिन यह बजट प्राक्कलन से ₹ 26,257 करोड़ (16.61 प्रतिशत) कम था।

2017–18 से 2018–19 में राजस्व व्यय में ₹ 22,273 करोड़ (21.70 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, लेकिन यह बजट प्राक्कलन से ₹ 11,843 करोड़ (8.66 प्रतिशत) कम था।

2017–18 से 2018–19 में पूँजीगत व्यय में ₹ 7,849 करोड़ (27.15 प्रतिशत) की कमी हुई, और यह बजट प्राक्कलन से ₹ 11,359 करोड़ (35.04 प्रतिशत) कम था।

(कंडिका 1.1.1 एवं 1.2.4)

प्रतिबद्ध व्यय

सरकार के प्रतिबद्ध व्यय में राजस्व शीर्ष के अंतर्गत मुख्यतः वेतन एवं मजदूरी पर व्यय (₹ 19,968.39 करोड़), पेंशन (₹ 16,027.75 करोड़), ब्याज भुगतान (₹ 10,071.14 करोड़) तथा सब्सिडी (₹ 8,323.97 करोड़) शामिल है। कुल प्रतिबद्ध व्यय (₹ 54,391.25 करोड़), राजस्व व्यय का एक प्रमुख घटक है और यह स्थापना एवं प्रतिबद्ध राजस्व व्यय (₹ 77,531.83 करोड़) का 70.15 प्रतिशत है।

(कंडिका 1.4.3)

नई पेंशन योजना (एन0पी0एस0)

राज्य सरकार ने वर्ष 2018–19 के दौरान एन0एस0डी0एल0/ट्रस्टी बैंक को ₹ 1,081.26 करोड़ जमा किए और एन0 पी0 एस0 के खाते के तहत एकत्र ₹ 60.04 करोड़ जमा करने में विफल रही। 31 मार्च 2019 तक एन0एस0डी0एल0/ट्रस्टी बैंक में जमा नहीं की गई कुल राशि ₹ 188.32 करोड़ थी।

(कंडिका 1.4.3.1)

लोक व्यय की पर्याप्तता

विकास व्यय, सामाजिक सेवाओं पर व्यय और शिक्षा सेवाओं पर व्यय, कुल व्यय के अनुपात में सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से अधिक था। हालांकि, कुल व्यय में आर्थिक क्षेत्र के व्यय का अंश पाँच साल की अवधि में 2018–19 में घट गया जबकि कुल व्यय में स्वास्थ्य का अंश सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से कम था।

(कंडिका 1.4.5.1)

.....जारी

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

अपूर्ण परियोजनाएँ

2011–12 से 2018–19 की अवधि के दौरान, कुल 68 परियोजनाएँ पूरी होने वाली थीं। चूँकि, ₹ 790.99 करोड़ की अनुमानित लागत वाली सभी 68 परियोजनाओं का विवरण विभागों द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था, उनकी संशोधित लागत वित्त लेखा में प्रदर्शित नहीं की गई, इस प्रकार इसका मूल्यांकन नहीं किया गया।

(कंडिका 1.5.2)

निवेश पर प्रतिलाभ

2018–19 के दौरान, राज्य सरकार को उधारी लागत तथा विभिन्न इकाईयों मे निवेश पर प्रतिलाभ के बीच अंतर के कारण ₹ 1,739.28 करोड़ की कल्पित हानि हुई।

(कंडिका 1.5.3)

राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम

विभिन्न इकाईयों पर ऋणों एवं अग्रिमों पर बकाया ब्याज पिछले वर्षों से बढ़ कर 31 मार्च 2019 को ₹ 9,038.12 करोड़ हो गया।

(कंडिका 1.5.4)

निक्षेप निधि

राज्य सरकार ने 2008–09 में एक समेकित निक्षेप निधि की स्थापना की जो कि केवल बाजार ऋण के परिशोधन के लिए थी और 2014–15 से, इसका उपयोग सरकार के लंबित देयताओं के परिशोधन के लिए किया जाना था, जबकि आरंभ से ही इसका उपयोग नहीं हुआ। 31 मार्च 2019 को निधि का अंत शेष ₹ 4,895.12 करोड़ था।

(कंडिका 1.6.2.1)

राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एस0डी0आर0एफ0)

1 अप्रैल 2018 को निधि का आरंभिक शेष मात्र ₹ छः हजार था। वर्ष के दौरान, ₹ 1,430.66 करोड़ (केन्द्रः ₹ 1,362.79 करोड़ और राज्यः ₹ 67.87 करोड़) की राशि प्राप्त की गयी तथा प्राकृतिक आपदाओं पर ₹ 1,430.65 करोड़ व्यय किया गया जिससे 31 मार्च 2019 को अंत शेष ₹ 78,850.00 रह गया।

(कंडिका 1.6.2.2)

प्रत्याभूति की स्थिति

बारहवें वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार ने ना तो प्रत्याभूति मोचन निधि की स्थापना की और ना ही प्रत्याभूति की सीमा के लिए कोई नियम बनाया।

(कंडिका 1.6.3)

.....जारी

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

उधार लो गयी निधि की निवल उपलब्धता

2018–19 के दौरान, राज्य द्वारा ली गई उधार निधियों में से 97.19 प्रतिशत राशि का उपयोग वर्तमान दायित्वों की अदायगी में किया गया और यह राज्य के पूँजी निर्माण/विकासात्मक क्रियाओं में व्यय नहीं किया जा सका।

(कंडिका 1.7.2)

अध्याय II: वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण

बचत

2018–19 में कुल अनुदानों/विनियोगों (₹ 2,09,489.83 करोड़) के विरूद्ध ₹ 49,172.17 करोड़ (24 प्रतिशत) का बचत हुआ। वर्ष 2018–19 के दौरान, 09 अनुदानों में, ₹ 1,000 करोड़ और अधिक के उल्लेखनीय बचत कुल ₹ 36,304.81 करोड़ (कुल प्रावधान ₹ 1,01,070.11 करोड़ का 35.92 प्रतिशत) हुआ था। कुल अनुदान/विनियोग के बीच महत्वपूर्ण विविधता (प्रत्येक मामले में 20 प्रतिशत और अधिक) 29 अनुदानों/विनियोगों के तहत ₹ 42,302.53 करोड़ के बचत की ओर ले जाती है। पाँच वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान, 25 अनुदानों से संबंधित 27 मामलों में, कुल ₹ 29,000.34 करोड़ और अधिक का सतत् बचत हुआ था। 43 मामलों (37 अनुदानों/विनियोगों) में ₹ 18,273.32 करोड़ (प्रत्येक मामले में ₹ 10 लाख या उससे अधिक) के पूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि व्यय (₹ 1,02,539.14 करोड़) मूल प्रावधान (₹ 1,24,981.48 करोड़) के स्तर तक भी नहीं था।

(कंडिका 2.2)

निधियों का अभ्यर्पण

वर्ष के दौरान, ₹ 49,172.17 करोड़ के कुल बचत में से केवल 94.26 प्रतिशत (₹ 46,349.77 करोड़) का अभ्यर्पण हुआ जिसके परिणामस्वरूप, ₹ 2,822.40 करोड़ के बचत (कुल बचत का 5.74 प्रतिषत) का अभ्यर्पण नहीं हुआ। आगे, ₹ 27,527.23 करोड़ (कुल अभ्यर्पण का 59.39 प्रतिशत) का अभ्यर्पण मार्च 2019 के अंतिम कार्य दिवस को किया गया जिससे इन राशियों के उपयोग की कोई गुंजाइश नहीं रही। 38 अनुदानों/विनियोगों के अन्तर्गत 232 विस्तृत लेखा शीर्षों में शत्–प्रतिशत निधि (₹ 4,686.68 करोड़) का अभ्यर्पण हुआ।।

(कंडिका 2.2 एवं 2.3.5)

सघन व्यय

14 विभागों के अन्तर्गत कुल व्यय ₹ 31,870.31 करोड़ में से ₹ 17,951.71 करोड़ (56.33 प्रतिशत) का व्यय अंतिम तिमाही में जबकि ₹ 12,151.88 करोड़ का व्यय माह मार्च 2019 में किया गया

(कंडिका 2.3.8)

आकस्मिकता निधि से अग्रिम

वर्ष 2018–19 में, राज्य सरकार ने आकस्मिकता निधि कोष को अस्थायी रूप से ₹ 350 करोड़ से बढ़ाकर ₹ 7,079.61 करोड़ कर दिया। इसकी तुलना में, भारत सरकार की आकस्मिकता निधि कोष ₹ 500 करोड़ है। वर्ष 2018–19 के दौरान,

.....जारी

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

राज्य सरकार द्वारा आकस्मिकता निधि से ₹ 4,353.49 करोड़ की राशि के 109 आहरण किये गये जिसमें से कुल ₹ 386.85 करोड़ (8.89 प्रतिशत) के 34 आहरण गैर–आकस्मिक व्यय के लिए किया गया।

(कंडिका 2.4)

असमाशोधित प्राप्तियाँ एवं व्यय

विभागाध्यक्षों ने वर्ष 2018–19 के दौरान ₹ 22,447.47 करोड़ (39 प्रतिशत) की प्राप्तियाँ और ₹ 1,27,896.89 करोड़ (88 प्रतिशत) के व्यय क्रमशः प्राप्तियों के 31 एवं व्यय के 80 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत का समाशोधन महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार की पुस्तिकाओं के साथ नहीं किया।

(कंडिका 2.6)

अध्याय III: वित्तीय प्रतिवेदन

व्यक्तिगत जमा (पी0डी0) खाते

मार्च 2019 तक मौजूदा 175 व्यक्तिगत जमा खातों में ₹ 4,377.12 करोड़ शेष था। इन 175 पी0डी0 खातों में से 95 खाते 47 कोषागारों में विगत तीन वित्तीय वर्षों से अपरिचालित थे, इनमें से 90 में शेष शून्य और पाँच खातों में ₹ 27.73 करोड़ की राशि अव्ययित पड़ी थी। पी0डी0 खातों के शेष राशि का समय–समय पर समाशोधन नहीं होने और पी0डी0 खातों में पड़े अव्ययित राशि को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व तक संचित निधि में वापस नहीं किये जाने से लोक निधि के दुरूपयोग, धोखाधड़ी और दुर्विनियोजन के जोखिम का सामना करना पड़ सकता है।

(कंडिका 3.1.1 एवं 3.1.2)

भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों (भ0अ0नि0श्र0) के लिए कल्याण उपकर

2018–19 के अवधि के श्रम उपकर के अभिलेखों के जाँच में पाया गया कि बोर्ड द्वारा कुल उपलब्ध निधि ₹ 1,706.68 करोड़ में से केवल ₹ 83.39 करोड़ (4.89 प्रतिशत) का व्यय किया गया था। यद्यपि बोर्ड द्वारा 15 कल्याणकारी योजनाएँ संचालित की जा रही थी लेकिन व्यय केवल सात योजनाओं पर किया गया जिससे केवल 2,58,173 श्रमिकों (राज्य में कुल निबंधित 13,87,686 श्रमिकों का 18.60 प्रतिशत) को लाभ पहुचाया गया।

(कंडिका 3.2.1)

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/निगमों के लेखाओं का अन्तिमीकरण

34 कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/निगमों (136 लेखाएँ) और 39 अकार्यशील सा0क्षे0उ0/निगमों (1,084 लेखाएँ) का बकाया क्रमशः एक से 16 साल एवं एक से 42 साल तक का है जो कि कम्पनी अधिनियम/ निगमों से संबंधित निर्धारित अधिनियम का उल्लंघन है। राज्य सरकार ने 30 सा0क्षे0उ0 को ₹ 30,481.18 करोड़ की बजटीय सहायता (इक्विटी, ऋण, अनुदान, सब्सिडी और स्वीकृत देयता) उस अवधि में दिया, जिनमें उनके लेखे 31 मार्च 2019 तक बकाया थे।

(कंडिका 3.5.1 ,3.5.2 एवं 3.5.3)

.....जारी

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

उपयोगिता प्रमाण पत्रों को जमा नहीं किया जाना

33 विभागों द्वारा ₹ 55,405.09 करोड़ (2,453 यू0सी0) के उपयोगिता प्रमाण पत्र मार्च 2019 तक लंबित थे। उपयोगिता प्रमाण पत्रों की उच्च लंबित संख्या से निधि के दुरूपयोग और धोखाधड़ी के जोखिम से भरा होता है।

(कंडिका 3.6)

लंबित विस्तृत आकस्मिक विपत्र

15,495 सार आकस्मिक (ए0सी0) विपत्र पर आहरित ₹ 5,770.55 करोड़ के विस्तृत आकस्मिक (डी0सी0) विपत्रों के प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण मार्च 2019 तक लंबित थे। इनमें शामिल 1,140 ए0सी0 विपत्रों पर ₹ 296.97 करोड़ (वर्ष के दौरान कुल आहरित ए0सी0 विपत्रों का 47.03 प्रतिशत) राशि का आहरण केवल मार्च 2019 में किया गया। आहरित अग्रिम जिसको लेखाबद्ध नहीं किया गया है, क्षति/गबन/दुष्कृत्य आदि की संभावना को बढ़ावा देता हैं।

(कंडिका 3.7)

निवेशों/ऋणों एवं अग्रिमां/प्रत्याभूतियों का असमाशोधन

वित्त लेखे में दर्शाए गए सा0क्षे0उ0 से संबंधित, राज्य सरकार के निवेशों, ऋणों और प्रत्याभूतियों के आंकड़े तथा सा0क्षे0उ0 द्वारा प्रदत्त आँकड़ों में अंतर था। वर्ष 2018–19 के दौरान निवेशों, ऋणों और प्रत्याभूतियों के आंकड़ों में यह अंतर क्रमशः ₹ 8,781.32 करोड़, ₹ 3,410.45 करोड़ एवं ₹ 5,252.45 करोड़ था।

(कंडिका 3.8)

राज्य के पुनर्गठन के फलस्वरूप शेषों का विभाजन

राज्य सरकार द्वारा उत्तरवर्त्ती राज्यों बिहार और झारखण्ड के बीच ₹ 11,148.69 करोड़ का विभाजन (नवम्बर 2000 से) अब तक किया जाना है।

(कंडिका 3.13)

ह0/–

महालेखाकार (लेखापरीक्षा),
बिहार, पटना

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

इन विषयों पर अधिक जानकारी हेतु कृप्या हमें निम्न पतों पर संपर्क करें:

महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार कार्यालय के प्रवक्ता	श्री आदर्श अग्रवाल, उप महालेखाकार (ए0एम0जी–IV) महालेखाकार (ले0 प0), बिहार का कार्यालय बीरचंद पटेल मार्ग, पटना– 800 001
दूरभाष सं0	0612-2221941 (O)
ई–मेल आई.डी.	agaubihar@cag.gov.in
वेबसाईट	www.ag.bih.nic.in
फैक्स सं0	0612-2506223
मिडिया अधिकारी	श्री कुन्दन कुमार वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
मोबाईल नं0	9431624894